

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 3489/2024

श्रीमती सुषमा नागर पत्नी श्री संतोष नागर, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी ए-77, वैशाली नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन , अपने आयुक्त के माध्यम से 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) अपीलीय प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
3. उपायुक्त, नियुक्ति प्राधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन , क्षेत्रीय कार्यालय, 92 गांधी नगर मार्ग, बजाज नगर , जयपुर, राज. - 302015

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री कृष्ण कुमार शर्मा
प्रतिवादी(ओं) के लिए :

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

29/08/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा मूल आवेदन (ओए) को खारिज करने के दिनांक 16.10.2023 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।
2. प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने 13.09.1982 को केन्द्रीय सेवा में कार्यभार ग्रहण किया। विद्यालय जयपुर में संगठन (संक्षेप में 'केवीएस')। 14.08.2003 को याचिकाकर्ता को केन्द्रीय स्थानांतरित कर दिया गया विद्यालय , वायु सेना स्टेशन, जैसलमेर में कार्यरत थीं और उन्होंने 01.09.2003 को कार्यभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता ने 03.09.2003 से 31.12.2003 तक तीन अलग-अलग अवधियों में अर्जित अवकाश लिया। इसके बाद, उन्होंने 12.11.2003 को स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। 23.12.2003 के पत्र द्वारा, याचिकाकर्ता को केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जैसलमेर में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया। विद्यालय, एएफएस, जैसलमेर को सूचित किया गया है कि निर्धारित शर्तें पूरी न करने के कारण उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा, कार्यभार ग्रहण न करने पर, केंद्रीय शिक्षा संहिता की धारा 81 (डी) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय संगठन (संक्षेप में 'संहिता') के खिलाफ मामला शुरू किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने कार्यभार नहीं संभाला और 12.04.2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब में कहा गया कि जयपुर के बाहर सेवा देना संभव नहीं होगा और उसे स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाए। स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई 13.07.2004 के आदेश के साथ समाप्त हुई, जिसमें याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया। 13.07.2004 के आदेश के खिलाफ अपील 11.03.2005 को खारिज कर दी गई। वर्ष 2022 में, याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन खारिज होने और सेवा से हटाए जाने से व्यथित होकर ओए दायर किया। न्यायाधिकरण ने ओए को खारिज करते हुए माना कि याचिकाकर्ता स्वेच्छा से ड्यूटी से अनुपस्थित रही पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद, याचिकाकर्ता ड्यूटी पर आने में विफल रहा और सेवा से हटाने के आदेश को चुनौती देने के लिए ओए दाखिल करने में अठारह साल की देरी हुई।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि मांगीलाल कजोडिया बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 (2) एससीसी 723 में निर्धारित कानून के मद्देनजर याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किया जाना चाहिए।

4. मांगीलाल कजोडिया (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करना बेकार है। उस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और अनुपस्थिति की अवधि को "गैर-मौजूद" मानते हुए बहाली का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि केवीएस द्वारा हटाने के फैसले की सत्यता की जांच करना उचित नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता ने हटाने के तीन साल बाद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने वर्ष 2022 में ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी, यानी सेवा से हटाए जाने के अठारह साल की देरी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील की अस्वीकृति के पंद्रह साल बाद। देरी के लिए कोई

स्पष्टीकरण, बहुत कम स्वीकार्य मूल्य का, न तो ट्रिब्यूनल के समक्ष और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

5. वर्ष 2003 में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण केवी एएफएस, जैसलमेर में हो गया। याचिकाकर्ता ने 03.09.2003 से 27.09.2003, 13.10.2003 से 07.11.2003 और 17.11.2003 से 31.12.2003 तक अर्जित अवकाश लिया। याचिकाकर्ता ने 12.11.2003 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की शर्तें पूरी न करने के कारण उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। कई अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता कार्यभार ग्रहण करने में विफल रही और अनुपस्थित रही। सेवानिवृत्ति की आयु के बाद, 63 वर्ष की आयु में, उसने न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

6. न्यायाधिकरण ने यह विचार किया कि याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने और बिना अवकाश स्वीकृत किए अनुपस्थित रहने के बावजूद स्वेच्छा से सेवा त्याग दी। संहिता की धारा 81 (डी) (3) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई और उचित प्रक्रिया अपनाई गई। याचिकाकर्ता का आग्रह था कि वह अपनी सेवाएँ केवल जयपुर में ही देंगी, बाहर नहीं। ओए को सही रूप से अस्वीकार किया गया। रिट क्षेत्राधिकार में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

सिंपल कुमावत /04

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी